न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 28/2013 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. मोतीसिंह पुत्र झुंझारसिंहजी जाति राजपूत निवासी आना तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)		1. बाघसिंह पुत्र मोतीसिंहजी जाति राजपूत निवासी आना तहसील देसूरी जिला पाली (राज.) 2. ग्राम पंचायत आना जरिये सरपंच, तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक 29-7-19

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत आना तहसील देसूरी द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 14.05.1990, मिसल संख्या 01/1989–90 में जारी आदेश एवं उसकी पालना में जारी भूखण्ड संख्या 25 व 26 के विक्रय विलेख जो अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी किया गया, को निरस्त कराये जाने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत आना का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा No Instruction Plead किया गया तथा अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत आना द्वारा विधीवत प्रस्ताव दिनांक 14.05.1990 को लिया गया है। मिसल कायम की गई है, जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है। जिसके अनुसार भूमि का नक्शा बनाकर, तीन वार्डपंचों को नियुक्त कर मौका निरक्षण कर रिपोर्ट देने के पश्चात, आपत्ति पत्र जारी कर, किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उपस्थित पंचों द्वारा निर्णय लिया गया कि मौके पर खुली निलामी पुकारी जाकर सर्वानुमति लेकर फिर निलामी बोली लगाई तथा उच्चतम बोली दाता के पक्ष में पंचायत समिति की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 31.05.1990 के प्रस्ताव संख्या 6 के बाद अनुमोदन जैर निगरानी विक्रय विलेख भूखण्ड संख्या 25 व 26 के अप्रार्थी के नाम जारी किए गए है, जो विधी सम्मत है तथा पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम के नियमों के अनुरूप पालना करते हुए जारी किए है, जिन्हें यथावत रखा जाने एवं निगरानी खारिज कराने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा No Instruction Plead किया जाने से प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु एक तरफा बहस अधिवक्ता अप्रार्थी सुनी जाकर बहस पर मनन किया

जिला कलेक्टर, पाली

गया एवं पत्रावली संलग्न पंचायत मिसल की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत आना द्वारा जैर निगरानी पट्टे ग्राम आना पटवार हल्का आना के खसरा नम्बर 522 किस्म गै.मु. मगरा व खसरा नम्बर 115 किस्म बारानी दोयम भूमि में जारी किए गए है। जो पत्रावली संलग्न जमाबन्दी ग्राम आना पटवार हल्का आना संवत् 2069–2072 से स्पष्ट है तथा ग्राम पंचायत की प्रमाणित मिसल कि आदेशिका दिनांक 11.08.1989 में भूमि के निरीक्षण प्रपत्र में एवं आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय विलेख के संबंध के आपत्तियां मंगाने का सूचना पत्र में सभी में खसरा नम्बर 522 एवं 115 अंकित है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टे ग्राम पंचायत की नजूल आबादी भूमि में जारी नहीं कर सरकारी भूमि खसरा नम्बर 522 रकबा 0.44 है. गै.मु. मगरा एवं खसरा नम्बर 155 रकबा 1.00 है. किस्म बारानी दोयम में जारी किए गए है। जो स्पष्ट रूप से विधी विरूद्ध होने से ऐसे विक्रय विलेखों को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत आना तहसील देसूरी के प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 14.05.1989, मिसल संख्या 01/1989–90 में पारित आदेश व उसकी पालना में जारी जैर निगरानी भूखण्ड संख्या 25 व 26 के अप्रार्थी श्री बाघसिंह के हक में जारी दोनों विक्रय विलेख संख्या 5 व 6 दिनांक 11.08.1989 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत आना का रेकर्ड भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 29/7/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली